न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

रेनू मीणा आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी का नाम–

मुकदमा नम्बर – 33 / 2017

1. भानेसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र स्व. भेबाराम
2. रामूराम आयु 81 वर्ष पुत्र स्व. कुमाराम समस्त जाति जाट निवासी कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सकीर राज0

वादीगण

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नि मेघसिंह
2. सुखेन्द्र पुत्र मेघसिंह
3. विनोद पुत्र मेघसिंह
4. पृथ्वी सिंह पुत्र डालूराम
5. डालू पुत्र कुमाराम
6. ळरदेवाराम पुत्र कुमाराम
7. जगदीश पुत्र भूराराम
8. बिरबल पुत्र भूराराम
9. भागीरथ सिंह पुत्र रामूराम
10. नारायण सिंह पुत्र रामूराम समस्त जाति जाट निवासी कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
11. तहसीलदार पदेन भूमि अधिकारी तहसील फतेहपुर
12. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर
13. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी फतेहपुर (पश्चिम–उत्तर) सीकर
14. हल्का पटवारी ग्राम बिराणियां तहसील फतेहपुर
15. नायब तहसीलदार फतेहपुर

––प्रतिवादीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री गिरधारी लाल निर्मल – प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज०)

दिनांकः–08.06.2018

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 के नाम खातेदारी की कृषि भूमिया तहसील फतेहपुर के ग्राम कारंगा बड़ा में अवस्थित है जिसका वर्तमान खसरा नंबर 288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,304,305 व 306 तक कुल खसरा 19 रकबा 32.97 हैक्टेयर अवस्थित है जिसका पुराना खसरा नंबर 156 रकबा 32.97 हैक्टयर था।

उक्त पूर्व खसरा नंबर 156 रकबा 32.97 हैक्टयर सम्पूर्ण कृषि भूमि थी। जिनका आज तक अप्राथीगण संख्या 1 ता 10 के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है इन भूमियों में कोई रास्ते की भूमि कभी भी नहीं थी परन्तु अप्रार्थीगण ने आपस में मिलकर बिना प्रार्थीगण को सूचना दिए तथा बिना सहमति के खसरे की भूमियों का मौकानुसार उपविभाजन कर दिया परन्तु गलत रुप से खसरा नंबर 289 में से 0.5 हैक्टेयर, खसरा नंबर 290 में से 0.5 हैक्टेयर, खसरा नंबर 293 में से 0.12 हैक्टयर,खसरा नंबर 295 में से 0.10 हैक्टेयर कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर कृषि भूमि की गैर मुमकिन रास्ता के रुप में अंकित कर दिया जबकि काश्तकारी की भूमि को बिना खातेदार को सुने अप्रार्थीगण को उसकी किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। ना तो सेटलमेन्ट के समय मौके पर कोई अंकित किये गये नाप का रास्ता मौजूद था एवं न ही आज कोई अंकित किये गये नाप का रास्ता मौजूद है।

उक्त कृषि खसरा नंबर 156 रकबा 32.97 हैक्टेयर का उपविभाजन कर कुल 19 खसरे कायम कर दिये गये जबकि मौके पर 15 खसरे ही मौजूद है। इन 15 खसरा का कुल नाप 32.97 हैक्टेयर है जबकि अप्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकारिता के पूर्व रिकॉर्ड का मीलान किये बिना ही गैर मुमकिन रास्ते के चार नए खसरे क्रमशः 288,291,292 व294 रकबा क्रमशः 0.5,0.5,0.12,0.10 कुल 0.32 हैक्टेयर कायम कर दिये जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को जमाबंदी व नक्शे की नकल दिनांक 08.11.2017 व 06.11.2017 की लेने पर प्राप्त हुई। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के रिकॉर्ड मे सुधार करने के लिये कहा तो वोह इंकार हो गये तथा बिना किसी राजपत्र के प्रकाशन, अधिग्रहण की सूचना व मुआवजे के से उन्हें बेदखल करने तारबंदी तोड़ने व नीव सींव को खुर्द बुर्द कने की धमकी दे रहे है तथा अप्रार्थीगण 1 ता 10 वादग्रस्त भूमि को बिना बंटवारे विक्रय व अन्य प्रकार से अंतरित कर की धमकी दे रहे है। जिसमें यदि वोह सफल हो गये तो प्रार्थीगण को असीम हानि हो जिसकी क्षतिपूर्ति ओर तोर पर संभव नहीं हो सकेगी। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को स्थ निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी

खातेदार परमेश्वरी पत्नि भूराराम का देहान्त हो गया है जिनके वारिस जगदीश व [illegible] पहले से ही खातेदार है इसलिए परमेश्वरी पत्नि भूराराम को पक्षकार नहीं बनाया जा [illegible] है।

इसलिए प्रार्थना है अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वोह स्वयं, अपने प्रतिनिधि, नोकर–चाकर, रिश्तेदार व एजेंट के जरिये वादग्रस्त भूमियां वाके तहसील फतेहपुर के ग्राम कारंगा बड़ा के वर्तमान खसरान 288,289,290,291,292,293 ,294,295,296,297,298,299,300,301,302,304,305 व 306 तक कुल खसरा 19 रकबा 32.97 हैक्टेयर के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज तहरीर व तकमील नहीं करे प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमियों के कब्जे, उपयोग उपभोग से वंचित नही करे एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रकरण में तहसीलदार, फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी एवं ग्रामवासियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार, फतेहपुर की रिपोर्ट एवं ग्रामवासियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत के अनुसार मौके पर रास्ता चालू है। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस न्यायालय का आदेश दिनांकित 26.12.2017 अपास्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही मूल वाद के सलंग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को कैम्प कोर्ट बिराणियां न्यायालय में सुनाया गया ।

अध्यक्ष
लोक अदालत
फतेहपुर शेखावटी
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज.)